रजिस्टर्ड ए.डी.

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर
Chhattisgarh State Legal Services Authority, Vidhik Seva Marg,Bilaspur
495 001 Official Website- www.cgslsa.gov.in
e-mail cgslsa.cg@nic.in , cgslsa@gmail.com
Phone (07752) 410210, 417625 Telefax (07752) 410530

क्रमांक 1050/I-03-01/2010 बिलासपुर, दिनांक 26.06.2015

प्रति,

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ.ग.)

विषय :— पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के अधीन प्रतिकर की मात्रा विनिश्चय किए जाने/मार्गदर्शन प्रदान किए जाने बाबत्।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक 1911/एस.डब्ल्यू/पीड़ित क्षतिपूर्ति/2015, बैकुण्ठपुर दिनांक 30.03.2014

विषयान्तर्गत आपके द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार प्रकरणों का परीक्षण कर निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है :—

1. धारा 357 क दं.प्र.सं. के प्रभावशील होने के पश्चात एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के प्रभावशील होने दिनांक 03.08.2011 के पूर्व जिन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा पीड़ितों को सीधे क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया गया है वे आदेश वरिष्ठ न्यायालय में धारा 357 क की उपधारा 2 के प्रकाश में चुनौती योग्य हैं और जब तक उन्हें चुनौती देकर अनुकूल आदेश प्राप्त नहीं किया जाता है तब तक उनका पालन राज्य शासन के लिए बाध्यकर है।

2. धारा 357 क दं.प्र.सं. के प्रभावशील होने के पश्चात एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के प्रभावशील होने दिनांक 03.08.2011 के पूर्व तक जिन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति की अनुशंसा की गई है उन प्रकरणों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा धारा 357 क की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रतिकर की मात्रा विनिश्चित की जानी है जिसका भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जावेगा।

3. धारा 357 क दं.प्र.सं. एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के प्रभावशील होने दिनांक 03.08.2011 के पश्चात जिन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सीधे क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया गया है वे आदेश भी धारा 357 क की उपधारा 2 एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के प्रावधान क्रमांक 5 के अंतर्गत वरिष्ठ न्यायालय में

चुनौती योग्य हैं और जब तक ऐसे आदेशों को चुनौती देकर अनुकूल आदेश प्राप्त नहीं किया जाता है तब तक उनका पालन राज्य शासन के लिए बाध्यकर है।

4. धारा 357 क दं.प्र.सं. एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के प्रभावशील होने दिनांक 03.08.2011 के पश्चात न्यायालयों द्वारा क्षतिपूर्ति की अनुशंसा की जा सकती है जिसके प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चियन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा धारा 357 क (2) एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के अंतर्गत की जाएगी, जिसके क्षतिपूर्ति की सीमा अनुसूची से अधिक नहीं होगी।

5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विनिश्चियन आदेश से पीड़ित होने पर पीड़ित व्यक्ति ही पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के खण्ड 5 के उपखण्ड 9 के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

6. धारा 357 क दं.प्र.सं. एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के प्रावधान में कोई विसंगति अथवा अस्पष्टता नहीं है।

7. धारा 357 क दं.प्र.सं की उपधारा 6 के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वयं अंतरिम प्रतिकर हेतु सक्षम है, किसी अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त आधारों पर संदर्भित प्रकरणों के संबंध में अतिशीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित

(रजनीश श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव

संलग्न : संदर्भित पत्र के साथ संलग्न
संलग्न समस्त दस्तावेज मूलतः।

क्रमांक 1051 /I-03-01/2010 बिलासपुर, दिनांक 26.06.2015

प्रतिलिपि :–

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण .....(छ.ग.)
की ओर कलेक्टर, कोरिया के कार्यालय से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रजनीश श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव